



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 215 राँची, बुधवार,

11 मई, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

8 अप्रैल, 2022

संचिका संख्या-5/स०भू० देवघर (एस०पी० माईन्स)-12/2022-1218/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय:-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-30.03.2022 में मद संख्या-51 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा-ताराबाद, थाना संख्या-591, खाता संख्या-54, दाग संख्या-607, 648 एवं 247 में अंतर्निहित कुल रकबा-0.87 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि, किस्म-परती कदीम (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-1) जिला अवर निबंधक, देवघर के आदेश संख्या-01/2020, ज्ञापांक-196, दिनांक-15.07.2020 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य का पुनरीक्षित मार्गदर्शिका पंजी के अनुसार वर्तमान

बाजार दर (व्यवसायिक) एवं राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.17 के आलोक में संगणित सलामी की राशि 26,58,546/- (छब्बीस लाख अनठावन हजार पाँच सौ छियालीस) रुपये मात्र, सलामी का 1 (एक) प्रतिशत वार्षिक लगान की राशि 26,585/- (छब्बीस हजार पाँच सौ पचासी) रुपये मात्र, लगान का 75 प्रतिशत सेस की राशि 19,939/- (उन्नीस हजार नौ सौ उनचालीस) रुपये मात्र तथा 29 वर्षों के लिए एकमुश्त भुगतये लगान एवं सेस की राशि 13,49,212/- (तेरह लाख उनचास हजार दो सौ बारह) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि 40,54,282/- (चालीस लाख चौवन हजार दो सौ बेयासी) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) ई०सी०एल० चितरा कोलमाईन्स द्वारा अदायगी पर एस०पी० माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई०सी०एल० (एस०पी० माईन्स) चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त, देवघर प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खातां एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
- ii. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- iii. प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही जंगल-झाड़ी भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई उपायुक्त, देवघर सुनिश्चित करेंगे।
- iv. यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची निकाय से राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- v. इस बंदोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष "0029 भू-राजस्व-107" के अंतर्गत जमा होगी।
- vi. प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि

- को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, देवघर यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।
- vii. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची विभाग से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- viii. यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- ix. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.17 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

संचिका संख्या-5/संभू० देवघर (एस०पी० माईन्स)-12/2022-1218/रा०,

8 अप्रैल, 2022

अनुलग्नक-I

भूमि का विस्तृत विवरणी :-

अभिलेख संख्या	जिला	अंचल	मौजा/थाना नं०	खाता नं०	दाग नं०	रकबा(एकड़ में)	किस्म
01/20-21	देवघर	पालोजोरी	ताराबाद/591	54	607	0.38	परती कदीम
कुल						0.38	
02/20-21	देवघर	पालोजोरी	ताराबाद/591	54	648	0.08	परती कदीम
कुल						0.08	
03/20-21	देवघर	पालोजोरी	ताराबाद/591	54	247	0.41	परती कदीम
कुल						0.41	
सकल कुल योग						0.87 एकड़	

अनुलग्नक-II

भूमि का मूल्य गणना विवरणी :-

अभिलेख सं०	रकबा (एकड़ में)	भूमि का मूल्य प्रति एकड़	सलामी की राशि	सलामी का 1 प्रतिशत वार्षिक लगान	लगान का 75 प्रतिशत सेस	29 वर्षों के लिए लगान एवं सेस की राशि	कुल देय राशि (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
01/20-21	0.38	3055800	1161204.00	11612.04	8709.03	589311.03	1770836.10
02/20-21	0.08	3055800	244464.00	2444.64	1833.48	124065.48	372807.60
03/20-21	0.41	3055800	1252878.00	12528.78	9396.59	635835.59	1910638.95
कुल	0.87		2658546.00 या 2658546	26585.46 या 26585	19939.10 या 19939	1349212.10 या 1349212	4054282.65 या 4054282

अर्थात् कुल देय राशि 40,54,282/- (चालीस लाख चौवन हजार दो सौ बेयासी) रुपये मात्र ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।
